

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 716]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025 — भाद्र 21, शक 1947

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/307/PLGMJ/845/2025—SECTION(PA).— छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो 9 मई, 2025 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1.	नियम 3 में, शब्द, “रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा बोर्डिंग सहित” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन / एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा)” प्रतिस्थापित किया जाये।
2.	नियम 3 के परन्तुक में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “उक्त अधिनियम की धारा 5—क (2) के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय एक वित्तीय वर्ष में बोर्डिंग सहित रुपये 5,00,000/— (पांच लाख) से अधिक नहीं होगा।” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “उक्त अधिनियम की धारा 5—क की उपधारा (2) के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, एक वित्तीय वर्ष में बोर्डिंग सहित (रेल्वे स्टेशन/एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा) रुपये 5,00,000 (पांच लाख) से अधिक नहीं होगा” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम टोप्पो, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2025

क्रमांक/307/PLGMJ/845/2025—SECTION(PA).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निः शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम टोप्पो, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 11th September 2025

NOTIFICATION

No./307/ PLGMJ/845/2025—SECTION(PA).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Veten, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No.7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996, with retrospective effect from 9th May, 2025, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1.	In rule 3, for the words "by Rail and Air with boarding value", the words and symbol "by Rail and Air with boarding (Journey made by road from the railway station/airport to the destination)" shall be substituted.
2.	In Proviso of rule 3, for the words, figure and symbol "by rail or by air including boarding under sub-section (2) of Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 5,00,000/- (Five Lakhs) in financial year", the words, figure and symbol "by rail or air including boarding (Journey made by road from the railway station/ airport to the destination) under sub-section (2) of Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 5,00,000/- (Five Lakhs) in one financial year" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM TOPPO, Deputy Secretary.